


दि 21.1.2019

पञ्जावली पेश हुई वकील अपाथीगण
 लया वकील अपाथीगण उप/वकील रा
 पार्थीगण ने कूल बाद से पार्थीगण पेश
 पर प्रपत्र ही पर पर जये बाद से प्रपत्र
 क्रम 212 R.T. Act पेश करे की चरम शान
 के साथ उक्त T.I. प्रपत्र के जरिये विद्वोल
 (खारिज) करने के सिबेन सिया हुई जिल
 पर वकील अपाथीगण ने आपील जाहि र
 की हुई हमने वकील अपाथीगण तथा वकील
 अपाथीगण के तर्कों के ध्यान पूर्वक सुनकर
 उस पर मनन सिया, विवेचन के उपरान्त
 पार्थीगण द्वारा उक्त विचार हीन यह
 प्रपत्र क्रम 212 R.T. Act विरुद्ध अपाथीगण
 विद्वोल करने से चलने योग्य नहीं
 होते से जरिये विद्वोल (खारिज) सिया
 जाला हुई पार्थीगण जब चाहे सब जथा
 प्रपत्र क्रम 212 R.T. Act पेश करने
 हेतु स्वतन्त्र हुई न्यायालय जथा प्रपत्र
 क्रम 212 R.T. Act पेश करने की
 अनुमति देना उचित नहीं समझला हुई
 सिबेन सारे हुई जलसे सुनया। पञ्जावली
 सैलस सुमार होकर संघ से कम हो।


 सहायक कलेक्टर
 सिरोही (राज०)